BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 03 जुलाई 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सतीश पुत्र रघुवीर निवासी नंगलामान थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर टिर्री चालकों को नशीला पदार्थ खिलाकर टिर्री चोरी कर अपने आर्थिक लाभ हेतु समाजविरोधी क्रियाकलाप कारित कर समाज में भय व आतंक व्याप्त करने जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 21.06.2022 को थाना डिबाई पर मुअसं- 302/2022 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 29.04.2023 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 03.07.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-08 स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सतीश को 02 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

अभियुक्त सतीश का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-72/22 धारा 328,379,411 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 58/22 धारा 379,411 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 64/22 धारा 328,379,411 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 66/22 धारा 411,414 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 67/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं- 179/22 धारा 379,411 भादवि थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ।
7. मुअसं- 302/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

मीडिया सेल बुलन्दशहर